



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या2586 व 2587 / 2016.....जिला.....बूंदी.....

उनवान – मैसर्स शिव इंजिनियरिंग वर्क्स, बूंदी बनाम सहायक वाणिज्यिक अधिकारी घट-द्वितीय, बूंदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2017	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> <u>राजीव चौधरी-सदस्य</u> <u>के.एल. जैन-सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी फर्म के प्रोपराईटर श्री प्रहलाद कुमार सैनी द्वारा उक्त अपीलों को विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 14.02.2017 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें अपीलार्थी फर्म प्रोपराईटर द्वारा निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी New Amnesty Scheme की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है व यह अपीलें आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः विद्झा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपीलें जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने प्रस्तुत अपीलें को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी फर्म के प्रोपराईटर श्री प्रहलाद कुमार सैनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर हस्तगत अपील विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 2586 एवं 2587 / 2016 / बूंदी जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p align="center">आदेश / निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="center">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p> <p align="center">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	